रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24082026-275694
CG-DL-W-24082026-275694

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, अगस्त 16—अगस्त 22, 2026, शनिवार/ श्रावण 25—श्रावण 31, 1948
No. 29] NEW DELHI, AUGUST 16— AUGUST 22, 2026, SATURDAY/SHRAVAN 25— SHRAVAN 31, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 149.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रधान लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रधान लिपिक (समहू 'ग' पद) के भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान लिपिक	03*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं					
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक करार शामिल हो)।	**प्रोन्नति:** ऐसे अपर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25500-81100) में 5 वर्षों की नियमित सेवा, और संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशासन, स्थापना तथा लेखा क्षेत्र में दो सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। **टिप्पण1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो;और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:नामतः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई के प्रशासनिक कार्य की देखरेख कर रहे हैं। - सदस्य; 3. उप निदेशक(पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई **– सदस्य;**	लागू नहीं होता।

			डिग्री; और (ii) स्थापना, भंडार की खरीद, लेखांकन, बजट निर्माण, नकद कार्य तथा कार्यालयीन दिनचर्या आदि से संबंधित नियमों और विनियमों पर कार्य करने का एक वर्ष का पूर्ण अनुभव प्राप्त हो।" **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-काडर पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक करार सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.12018/02/2025-एमई/एनसीडी-I]

हेमलता सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th July, 2026

G.S.R. 149.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Clerk in the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Head Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Head Clerk.	3*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted. Ministerial.	Level-5 in the pay-matrix (Rs. 29200-92300).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Upper Division Clerk in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years of regular service in the grade and having successfully completed	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1.Additional Director, All	Not applicable.

training of two weeks in the field of administration, establishment and accounts as specified by the institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution, - (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in parent cadre or department; or (ii)with five years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in parent cadre or department; and (b)possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or Institute; and (ii) having one year experience of work in the field of rules and regulations relating to establishment or purchase of store or accounting or budgeting or cash work or office routine, etc. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Indian Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Chairman; 2. Deputy Director looking after the administration work of All Indian Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai in the Directorate General of Health Services, New Delhi. -Member; 3. Deputy Director (Rehabilitation), All Indian Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member.	

[F. No. A.12018/02/2025-ME/NCD-I]

HEMLATA SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 150.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक वे सिस्टर ट्यूटर के पद से संबंधित हैं; और अखिल भारतीय संस्थान भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (ऑपरेशन थिएटर सिस्टर) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रमित करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय संस्थान भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास, मुंबई में वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) ये नियम अखिल भारतीय संस्थान भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास, मुंबई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय संस्थान भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे सलंग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी	04* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनसुचिवीय।	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100) ।	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणीयां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400) में परिचर्या अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम प्रधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी,- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई — -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई— - सदस्य; 3.आचार्य (भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई— - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात: - (i)(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परिचर्या विज्ञान में स्नातक (प्रवीण); अथवा (आ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परिचर्या विज्ञान में स्नातक का नियमित पाठ्यक्रम; अथवा (इ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परिचर्या विज्ञान में परा बुनियादी (पोस्ट बेसिक) स्नातक; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परिचर्या परिषद् के साथ परिचारिका या परिचारिका एवं दाई (मिड-वाइफ) के रूप में रजिस्ट्रीकृत; अथवा (iii)(अ) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद् से सामान्य परिचर्या प्रसूति विद्या में डिप्लोमा; और (आ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परिचर्या परिषद् के साथ परिचारिका या परिचारिका एवं दाई के रूप में। रजिस्ट्रीकृत। **टिप्पणी 1.-** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति के अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.12018/03/2021-एम. एच-II/एन.सी.डी-I]

हेमलता सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 2026

G.S.R. 150.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Sister Tutor; and the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Operation Theatre Sister) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Nursing Officer, All India Institute of Physical

Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Senior Nursing Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Nursing Officer.	04* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay–matrix (Rs.47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Nursing Officer in level-7 in the pay-matrix (Rs. 44900-142400) with two years regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks training as specified by competent authority. **Note**:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay-matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i)(A) Bachelors in Science (Honours) in Nursing from a recognised university or institute; or (B)regular course in Bachelors in Science Nursing from a recognised university or institute; or (C)post basic Bachelors in Science Nursing from a recognised university or institute; and (ii) registered as a nurse or nurse and mid-wife with Nursing Council of Central Government or State Government or Union territory	Departmental Promotion Committee (for Considering promotion) consisting of: - 1. Additional Director, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai - Chairman; 2. Deputy Director (Rehabilitation), All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai Member; 3. Professor (Physical Medicine and Rehabilitation), All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Administration; or (iii)(A) Diploma in General Nursing mid-wife from a recognised Board or Council of Central Government or State Government or Union territory Administration; and (B) registered as a nurse or nurse and mid-wife with Nursing Council of Central Government or State Government or Union territory Administration. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/03/2021-MH. II/NCD-I]

HEMLATA SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 151.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान मुंबई, (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1968 को जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ कार्यकर्ता (जूते, चमड़ा, लकड़ी और धातु) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान मुंबई में कनिष्ठ तकनीशियन (प्रोस्थेटिक) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:- -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान मुंबई, कनिष्ठ तकनीशियन (प्रोस्थेटिक) (समूह "ग") भर्ती नियम, 2026 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** . उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** ऐसा कोई भी व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति. -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति. -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या.**	**वर्गीकरण.**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ तकनीशियन (प्रोस्थेटिक)	12* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(6)	(7)
18 से **27** वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी ।	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ; और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान की भर्ती आवश्यकतों के अनुसार, बढ़ई या फिटर या मशीनिस्ट या प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर या तकनीशियन मेकाट्रॉनिक्स शाखा में, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रम, तथा संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान की आवश्यकता के अनुसार, बढ़ई या फिटर या मशीनिस्ट या प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर या तकनीशियन मैकाट्रानिक्स शाखा में, किसी

	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रम। **टिप्पण** 1: अन्यथा भली प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर इन अर्हताओं में शिथिलता दी जा सकती है। **टिप्पण** 2 – अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, अनुभव से संबंधित अर्हताएं, कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि इन समुदायों से आवश्यक अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष. **टिप्पण:** केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, न्यूनतम दो सप्ताह का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण किया जाना आवश्यक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** ऐसी रिक्तियां जो पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने, या दीर्घकालिक बीमारी या अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए उत्पन्न होती हैं, उन्हे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है: (क) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करते हो, तथा (ख) जो स्तम्भ (7) के अंतर्गत प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनयुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना-**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु)	लागू नहीं होता।

	जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :- 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक (पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - सदस्य; 3. व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष (प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - सदस्य	

[फा. सं. ए.11018/16/2022-एमएच.II/एनसीडी-I]

हेमलता सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 2026

G.S.R. 151.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Junior Job Workers (Shoe, Leather, Wood and Metal), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Technician (Prosthetic) in the All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Junior Technician (Prosthetic), Group ‘C’ Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Junior Technician (Prosthetic).	12* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a) 10th class pass from a recognised Board; and (b) minimum one year certificate or diploma course from Industrial Training Institute (ITI) from any of the Government recognised Institute in Carpenter or Fitter or Mechanist or Plastic Processing Operator or Technician Mechatronics trade as per the requirement of the institute with one year experience in the field; or (c) two years certificate or diploma course from Industrial Training Institute (ITI) from any of the Government recognised Institute in Carpenter or Fitter or Mechanist or Plastic Processing Operator or Technician Mechatronics trade as per the requirement of the institute. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1.Additional Director, All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai - Chairman; 2. Deputy Director (Rehabilitation), All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai - Member; 3. Lecturer and Head of the Department (Prosthetics and Orthotics), All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/16/2022-MH. II/NCD-I]

HEMLATA SINGH, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

[जल संसाधन (नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 152.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016 को, जहां तक उनका संबंध उप-प्रधानाचार्य के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन फरक्का बैराज परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप-प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उप-प्रधानाचार्य (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारिख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन का स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता-वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों में कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों, पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप-प्रधानाचार्य	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन स्तर-10 (56,100 – 177,500 रूपए)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी, या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, प्रोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, विद्यालय प्रबंधन द्वारा आयोजित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण आवश्यक होगा।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।

(11)

प्रोन्नति:

फरक्का बैराज परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऐसे स्नातकोत्तर शिक्षक जो वेतन स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में हैं और उक्त श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1.- विद्यालय प्रबंधन द्वारा विहित अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सुलतापूर्वक पूरा करना प्रोन्नति के लिए एक पूर्व शर्त होगी और इसे परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक पूरा करने के समान माना जाएगा।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-

(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आपधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; और

(ख) जिन्होंने वेतन स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में नियमित आधार पर स्नातकोत्तर शिक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्ति के पश्चात् उक्त पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 2. - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा

पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 3. -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4. -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने हेतु किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य; (3) महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (1) संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष (2) महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य (3) निदेशक या उप-सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	प्रोन्नति द्वारा पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/19/2023-ई-III

रवि रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

[Department of Water Resources (River Development And Ganga Rejuvenation)]

New Delhi, the 14th August, 2026

G.S.R. 152.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project Higher Secondary School (Group 'A' and 'B' posts), Recruitment Rules, 2016 in so far it relates to the post of Vice-Principal, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Vice-Principal in the Farakka Barrage Project Higher Secondary School under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Vice-Principal (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of post, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix**	**Whether selection-post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Vice-Principal.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500/-.	Selection Post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.**	**Period of probation, if any.**	**Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years. Note.- Successful completion of mandatory induction training of at least two weeks duration conducted by the school management shall be mandatory for successful completion of probation for promotees as prescribed by the Central Government.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Post-Graduate Teacher in Farakka Barrage Project Higher Secondary School in pay level-8 (Rs. 47600-151100) with four years regular service in the grade. **Note1.-** Successful completion of mandatory training, as prescribed by the School Management, shall be a pre-condition for promotion, and shall be treated at par with successful completion of probation. **Deputation including short-term contract:** Officers under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institution or Autonomous Bodies or Statutory organisations, (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) With four years' service in the grade of Post-Graduate Teacher or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-8 (Rs. 47600-151100). **Note 2. -** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; (2) Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member; (3) General Manager, Farakka Barrage Project – Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) (consisting of):** (1) Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Chairman (2) General Manager, Farakka Barrage Project – Member (3) Director or Deputy Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post by promotion.

Note 3. - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4.** - The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/19/2023-E-III]

RAVI RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.24 16:09:00 +05'30'